सीबीएसई–एक प्रगतिशील राष्ट्रीय बोर्ड
CBSE - A Pace Setting National Board

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बोर्ड को वर्तमान स्तर पर स्थापित करने के लिए वर्षों तक हुई प्रगति महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजूकेशन पहला बोर्ड था जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। राजपूताना, मध्य भारत तथा ग्वालियर इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे और संयुक्त प्रांतों की सरकार द्वारा किए गए अभ्यावेदन के उत्तर में तत्कालीन भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए वर्ष 1929 में एक संयुक्त बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया जिसका नाम ''बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना'' रखा गया। इसमें अजमेर, मेरवाड़ा, मध्य भारत और ग्वालियर शामिल थे।

बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीव्र प्रगति और विस्तार किया जिसके फलस्वरूप इसके संस्थानों में शिक्षा के स्तर एवं स्वरूप में सुधार आया परन्तु राज्यों के विश्वविद्यालयों और देश के विभिन्न भागों में राज्य बोर्ड स्थापित हो जाने से केवल अजमेर, भोपाल और तत्पश्चात् विंध्य प्रदेश ही इसके अधिकार क्षेत्र में रह गए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1952 में बोर्ड में संगठनात्मक संशोधन किए गए जिससे इसका क्षेत्राधिकार भाग–ग और भाग–घ के क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया और बोर्ड को इसका वर्तमान नाम ''केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड'' दिया गया। अंततः, 1962 में बोर्ड का पुर्नगठन किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य थे – शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से सहयोग प्रदान करना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता–पिता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी थे और निरंतर स्थानान्तरणीय पदों पर कार्यरत थे।

Historical Background

A trail of developments mark the significant changes that took place over the years in shaping up the Board to its present status. U.P. Board of High School and Intermediate Education was the first Board set up in 1921. It had under its jurisdiction Rajputana, Central India and Gwalior. In response to the representation made by the Government of United Provinces, the then Government of India suggested to set up a joint Board in 1929 for all the areas which was named as the 'Board of High School and Intermediate Education, Rajputana. This included Ajmer, Merwara, Central India and Gwalior.

The Board witnessed rapid growth and expansion at the level of Secondary education resulting in improved quality and standard of education in institutions. With the advent of State Universities and State Boards in various parts of the country the jurisdiction of the Board was confined only to Ajmer, Bhopal and Vindhya Pradesh later. As a result of this, in 1952, the constitution of the Board was amended wherein its jurisdiction was extended to part-C and Part-D territories and the Board was given its present name 'Central Board of Secondary Education'. It was in the year 1962 that the Board was finally reconstituted. The main objectives were those of: serving the educational institutions more effectively, to be responsive to the educational needs of those students whose parents were employed in the Central Government and had frequently transferable jobs.

क्षेत्राधिकार

बोर्ड का अधिकार क्षेत्र व्यापक है और राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी फैला हुआ है। पूर्नगठन के फलस्वरूप पहले दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केन्द्रीय बोर्ड में विलय कर दिया गया और इस प्रकार दिल्ली बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थाएं भी केन्द्रीय बोर्ड का अंग बन गई। तदनन्तर संघ शासित प्रदेश, चण्डीगढ़, अरूणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और अब झारखण्ड, उत्तराचंल एवं छत्तीसगढ़ के स्कूल भी बोर्ड द्वारा सम्बद्ध हैं। वर्ष 1962 में मात्र 309 विद्यालयों से 31.03.2010 तक 10836 विद्यालय बोर्ड से सम्बद्ध है जिनमें 21 अन्य देशों में चल रहे विद्यालय भी शामिल हैं। इनमें कुल 940 केंद्रीय विद्यालय, 1857 सरकारी विद्यालय, 7440 निजी विद्यालय, 543 जवाहर नवोदय विद्यालय एवं 56 केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल सम्मिलित हैं।

विकेन्द्रीकरण

अपने कार्यों को अधिकाधिक प्रभावशाली ढंग से निष्पादित करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि सम्बद्ध विद्यालयों के साथ अनुकूलता बढ़ सके। अभी तक बोर्ड के आठ क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, चेन्नई, इलाहाबाद, गुवाहटी, पंचकुला, दिल्ली, पटना और भुवनेश्वर में स्थित हैं। देश के बाहर स्थित विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के अन्तर्गत आते हैं। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार परिशिष्ट XXVI में दिया गया है। मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों पर नज़र रखता है। जबकि क्षेत्रीय कार्यालयों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। प्रशासन संबंधी दिन प्रतिदिन के मामले, विद्यालयों से संपर्क, परीक्षा पूर्व और परीक्षा उपरांत की व्यवस्था

Jurisdiction

The jurisdiction of the Board is extensive and stretches beyond the national geographical boundaries. As a result of the reconstitution, the erstwhile Delhi Board of Secondary Education' was merged with the Central Board and thus all the educational institutions recognised by the Delhi Board also became a part of the Central Board. Subsequently, all the schools located in the Union Territory of Chandigarh, Andaman and Nicobar Island, Arunachal Pradesh, the State of Sikkim, and now Jharkhand, Uttaranchal and Chhattisgarh have also got affiliation with the Board. From 309 schools in 1962 the Board today has 10836 schools as on 31-3-2010 including schools in 21 countries. There are 940 Kendriya Vidyalayas, 1857 Government Schools, 7440 Independent Schools, 543 Jawahar Navodaya Vidyalayas and 56 Central Tibetan Schools.

Decentralisation

In order to execute its functions effectively Regional Offices have been set up by the Board in different parts of the country so that it becomes more responsive to the affiliated schools. At present the Board has eight regional offices in Allahabad, Ajmer, Chennai, Guwahati, Panchkula, Patna, Bhubaneshwar and Delhi. Schools located outside India are looked after by the Regional Office, Delhi. The detailed jurisdiction of Regional Offices of CBSE is mentioned in appendix XXVI. The Headquarter constantly monitors the activities of the Regional Offices. Although, sufficient powers have been vested with the Regional Offices, issues involving policy matters are, however, referred to the Head Office. Matters pertaining to day-to-day administration,

आदि सभी मामलों की देख–रेख क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है तथापि नीतिगत मामले मुख्यालय को भेजे जाते हैं।

प्रमुख कार्यकलाप एवं उद्देश्यः

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कतिपय परस्पर संबंधित उदेश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी।

- कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने एवं परीक्षाओं से सबंधित शर्ते निर्धारित करने हेतु।
- सम्बद्ध विद्यालयों के सफल विद्यार्थियों को अर्हता प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए।
- उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनके माता–पिता स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हों।
- परीक्षाओं के लिए अनुदेश पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने तथा इन पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए।
- परीक्षा प्रयोजन हेतु विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए तथा देश के शैक्षिक प्रतिमानों को ऊँचा उठाने के लिए।

बोर्ड के कार्यकलापों का मुख्य केन्द्रः

- विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी केंद्रित प्रमिमान स्थापित करते हुए अध्यापन अधिगम प्रणालियों का नवीनीकरण करना।
- परीक्षाओं व मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करना।
- कार्योंनमुख एवं कार्यों से संबंधित आगतों द्वारा कौशल अधिगम प्रदान करना।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं इत्यादि के आयोजन द्वारा अध्यापकों एवं प्रशासकों को नियमित रूप से अद्यतन शैक्षिक कौशल प्रदान करना।

liaison with schools, pre and post examination arrangements are all dealt with by the respective Regional Offices.

Major Activities and Objectives:

The Central Board of Secondary Education was set up to achieve certain interlinked objectives:

- To prescribe conditions of examinations and conduct public examination at the end of Class X and XII.
- To grant qualifying certificates to successful candidates of the affiliated schools.
- To fulfill the educational requirements of those students whose parents were employed in transferable jobs.
- To prescribe and update the courses of instructions of examinations.
- To affiliate institutions for the purpose of examination and raise the academic standards of the country.

The Prime Focus of the Board is on:

- Innovations in teaching–learning methodologies by devising student friendly and student centered paradigms.
- Reforms in examinations and evaluation practices.
- Skill learning by adding job-oriented and job-linked inputs.
- Regularly updating the pedagogical skills of the teachers and administrators by conducting in service training programmes, workshops etc.

बोर्ड की संरचना
Structure of the Board

बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा इनको सहयोग देने के लिए पांच विभागाध्यक्ष जैसे सचिव, निदेशक (शैक्षणिक), परीक्षा नियंत्रक, निदेशक (एडूसेट, शोध विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा) तथा निदेशक (विशेष परीक्षा) हैं। सचिव (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार बोर्ड के नियंत्रक प्राधिकारी हैं और वे अध्यक्ष तथा अन्य विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं।

सचिव, सीबीएसई प्रशासन, लेखा परीक्षा तथा लेखा, जन संपर्क, विधि तथा विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं।

निदेशक (शैक्षणिक) अकादमिक यूनिट के प्रमुख हैं। इस यूनिट का प्रमुख कार्य माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक तथा व्यावसायिक सभी विषयों का पाठ्यचर्या विकसित करना, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना, अध्यापकों तथा छात्रों के निर्देशन के लिए सहायक सामग्री विकसित करने के लिए अध्यापकों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना और शैक्षणिक परियोजनाओं का अनुवीक्षण करना है।

परीक्षा नियंत्रक परीक्षा से संबंधित सभी मामलों तथा परीक्षाओं के प्रशासन, मुख्य रूप से परीक्षा के पूर्व व पश्च कार्य, अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल प्रवेश परीक्षा तथा वार्षिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित करने के लिए

The Chairman is the Chief Executive of the Board and is assisted by five Heads of Departments, such as the Secretary, the Director(Academic), the Controller of Examinations, the Director (Edusat, Research Development and Vocational Education) and the Director (Special Examinations). The Secretary (School Education and Literacy), Ministry of Human Resource Development, Government of India is the Controlling Authority of the Board and appoints the Chairman and other Heads of Departments.

The Secretary, CBSE, is the Chief Administrative Officer responsible for the matters relating to Administration, Audit and Accounts, Public Relations, Legal and Grant of Affiliation to schools.

The Director (Academic) is the head of the Academic unit. The major functions of the unit include developing the curriculum for all the subjects in academic and vocational streams at the secondary and senior secondary levels, to organise teacher's training workshops to develop support material for the guidance of the teachers and students, to publish text books for secondary and senior secondary classes and monitoring the academic projects.

The Controller of Examinations is responsible for all matters concerning examinations and administration of examinations, the major areas being pre and post examination work, co-ordination with Regional Offices for conducting annual Secondary and Senior School

क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं ।

निदेशक (एडूसेट, शोध विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा) इसके द्वारा छोड़े गये उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों तथा व्यावसायिक विषयों के पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

निदेशक (विशेष परीक्षा) अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा इत्यादि से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय व्यवस्था

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वयं वित्त पोषित निकाय है जिसे अपना आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय करने के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं होता। बोर्ड की समस्त वित्तीय आवश्यकताओं को वार्षिक परीक्षा प्रभार, सम्बद्धता शुल्क, पी.एम.टी. तथा अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के प्रवेश शुल्क तथा बोर्ड के प्रकाशनों के विक्रय इत्यादि से प्राप्त धन से पूरा किया जाता है।

संगठनात्मक संरचना

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट –'ए' में दिया गया है।

बोर्ड में दिनांक 31.03.10 को समूहवार स्वीकृत पदों की संख्या निम्नलिखित है:

Certificate Examinations and All India Pre-Medical/Pre-Dental Entrance Examination etc.

The Director (Edusat, Research Development and Vocational Education) is responsible for all matters concerning Distance Education through Education Satellite launched by Indian Space Research Organization I.S.R.O. and designing of curriculum etc. for vocational subjects.

The Director (Special Examinations) is responsible for all matters concerning the All India Engineering Entrance Exams and Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test etc.

Financial Set-up

The Central Board of Secondary Education is a self-financing body which meets the recurring and non-recurring expenditure without any Grant-in-Aid either from the Central Government or from any other source. All the financial requirements of the Board are met from the annual examination charges, affiliation fee, admission fee for PMT. All India Engineering Entrance Examination and sale of board's publications.

Organogram

The organisational structure of the CBSE is given in Annexure –'A'

The group-wise sanctioned strength of the staff of the Board as on 31.03.2010 is as follows:

'क' 'A'	108
'ख' 'B'	99
'ग' 'C'	631
'घ' 'D'	147
कुल/Total	**985**

परिशिष्ट–क

Appendix -A

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना

Organisational Structure of the CBSE

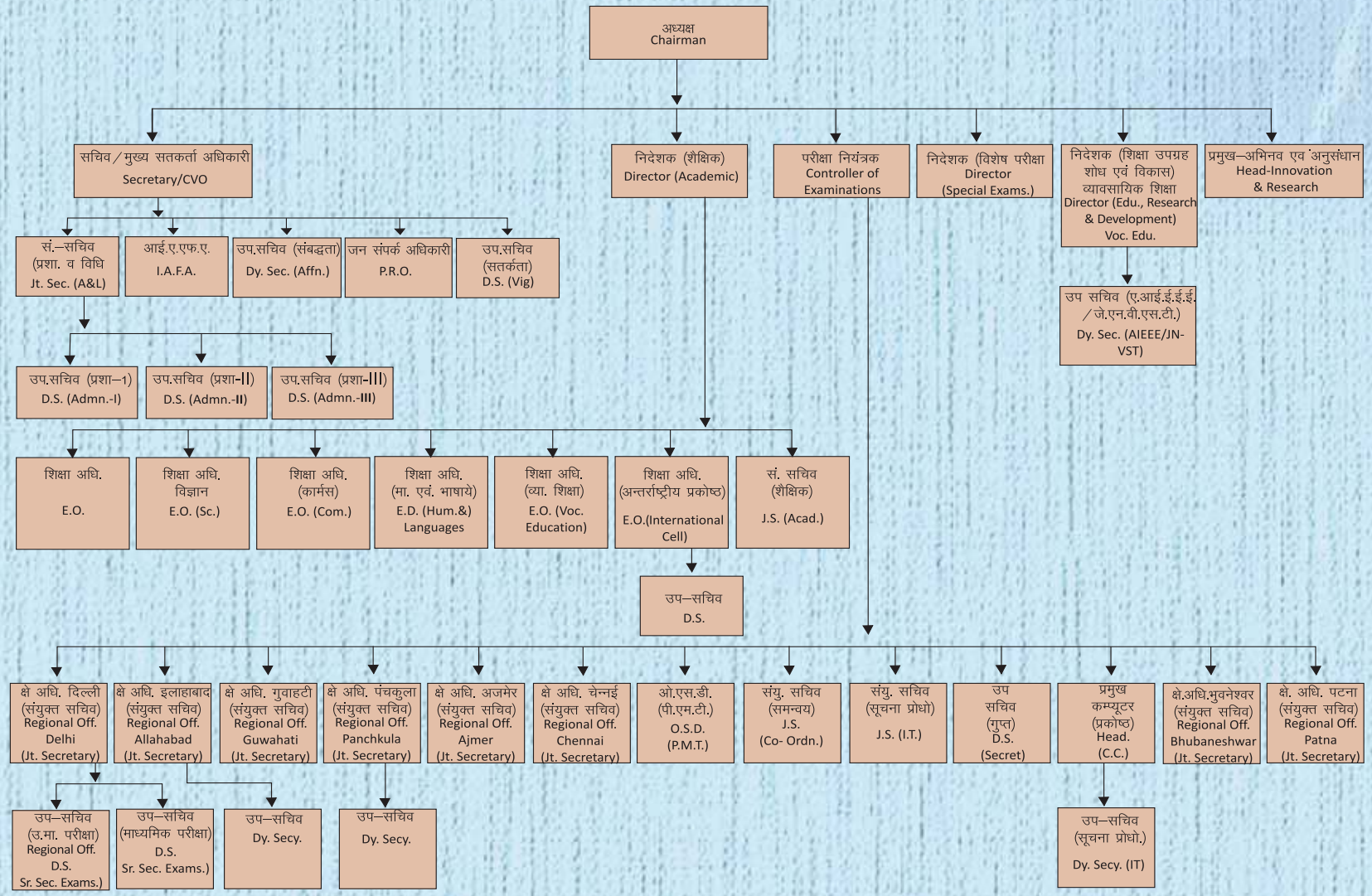

शैक्षिक सहभागिता
Academic Partnerships

राष्ट्रीय एवं अतंरराष्ट्रीय उदीयमान आयामों की दृष्टि से बोर्ड शैक्षिक आदान–प्रदान और सहभागिता को बढ़ावा देता है। बोर्ड के अध्यक्ष निम्नलिखित राष्ट्रीय शैक्षिक निकायों के सलाहकार मंडल के सदस्य हैं:

- दिल्ली विश्वविद्यालय
- जामिया मिलिया इस्लामिया
- संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद्
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी)
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)
- जवाहर नवोदय समिति
- राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा संचालन समिति
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस)
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद् (सीओबीएसई)
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)

बोर्ड नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका के शिक्षा बोर्डों, युनेस्को, आईबीई तथा यूएनएफपीए जैसी एजेंसियों को भी सहयोग एवं सहभागिता प्रदान करता है।

Academic exchanges and partnerships are encouraged in view of the emerging national and international dimensions. Chairman, CBSE is a member on the Advisory Panel of many national educational bodies like:

- University of Delhi
- Jamia Millia Islamia
- Joint Council of Vocational Education
- National Council of Teacher Education
- Association of Indian Universities
- National Council for Educational Research and Training (NCERT)
- Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)
- Jawahar Navodaya Samiti
- National Steering Committee on Population Education
- National Institute of Open Schooling (NIOS)
- Council of Boards of Secondary Education (CoBSE)
- National University of Educational Planning and Administration (NUEPA)

The Board also collaborates with Education Boards of Nepal, Bhutan, Bangladesh, South Africa and agencies like UNESCO, IBE, UNFPA.

सूचना अधिकार अधिनियम
Right to Information Act

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) के अनुपालन हेतु एवं आज्ञापक उपबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीबीएसई ने समुचित व्यवस्था की है। इसके अन्तर्गत जन संपर्क अधिकारी को मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को क्षेत्रों के अपीलीय अधिकारी एवं सहायक सचिवों को जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त किया गया है। जन संपर्क एकक में जन सूचना काउंटर गठित किया गया है। यह काउंटर सभी कार्यदिवसों में कार्यालय घण्टों के दौरान कार्यरत है। इसी प्रकार, जन सूचना अधिकारियों के सीधे निरोक्षगाधीन जन सूचना केन्द्र सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी गठित किए गए हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किये गये आवेदनों/अपीलों का विवरण निम्नलिखित है:

प्राप्त किए आवेदन	2038
आवेदनों की उत्तर संख्या	2038
प्राप्त प्रथम अपीलें	136
अपीलों की उत्तर संख्या	136
आरटीआई त्रैमासिक रिपोर्ट	4
आरटीआई मासिक रिपोर्ट	12
आरटीआई वार्षिक रिपोर्ट	1

इसके साथ ही प्राप्त हुए केसों को जन सूचना के लिये बोर्ड की वेबसाइट पर डाला गया। तैनात अधिकारियों की सूची सीबीएसई वेबसाईट और परिशिष्ट – XXIV में भी दी गई है।

In compliance with section 5(2) of the Act, effective operationalisation of the mandatory provisions of the RTI Act, have been ensured in CBSE. The Public Relations Officer has been appointed as the Chief Public Information Officer (CPIO). All the Heads of the Department have been designated as the Appellate Authority. In addition, all the Regional Officers have been appointed as the Appellate Authorities for the Regions and the Assistant Secretaries have been appointed as Public Information Officers (PIO) in the regions. A Public Information Counter has been set up in the Public Relations Unit. This counter functions during office hours on all working days. Public Information Counters have also been set up in the Regional Offices under direct supervision of Public Information Officers. The details of applications and appeals received during the period under report are:

No. of Applications Received	2038
No. of Applications Replied	2038
No. of Appeals Received	136
No. of Appeals Disposed off	136
No. of Quarterly Reports	4
No. of Monthly Reports	12
Annual Report	1

Information was also put up on CBSE website for public information. The list of designated officers has been displayed on CBSE on website and also given in Appendix XXIV.

लोक शिकायतों का निवारण

लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ 1993 में गठित किया गया था। यह प्रकोष्ठ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लोक शिकायतों का निरंतर अनुवीक्षण करता है और लोक शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करता है। बोर्ड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न ''बैठक रहित दिवस'' के रूप में रखा जाता है जिसमें जनता अपनी समस्याएं, सीधे ही वरिष्ठ अधिकारियों से मिल कर सुलझा सकती है। बोर्ड द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय तथा लोक शिकायत निदेशालय, मंत्री मंडल सचिवालय को लोक शिकायतों की मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाती है। प्रसंगाधीन समय के दौरान कुल 44 शिकायतें प्राप्त हुई और उनका निपटान उचित समय सीमा में शिकायतकर्ता के पक्ष में किया गया।

अनाचार प्रकोष्ठ

लोक शिकायत निवारण के अतिरिक्त बोर्ड का जन संपर्क एकक अनाचार प्रकोष्ठ का भी अनुवीक्षण करता है जिसका गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में किया गया है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट संगठनों और संस्थाओं की शैक्षिक गतिविधियों पर नज़र रखना है। यह प्रकोष्ठ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दैनिक समाचार–पत्रों मे छपे, गुमराह करने वाले विज्ञापनों का भी अनुवीक्षण करता है और अन्य जन स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की भी तत्परता से जांच करता है। विद्यालयों द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण उनकी मान्यता रद्द करने, दर्जे को कम करने की सूचना आम जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा दी जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ।

Redressal of Public Grievances

The cell for the redressal of public grievances was set up in 1993. This cell constantly monitors public grievances received from different sources and ensures timely disposal of public complaints. Wednesday forenoon of every week is observed as 'Meetingless Day' in the Board's head office and Regional offices when the public can directly approach senior officers regarding grievances, if any. Monthly and quarterly reports on the public grievances are sent to the Ministry of HRD and to the Department of Public Grievances, Cabinet Secretariat by the Board regularly. Forty-four complaints in total were received during the period under report and settled in favour of the complainant with in a reasonable time frame.

Malpractice Cell

Besides the public grievance redressal the public relations unit of the board also monitors malpractice cell, which has been set up under the aegis of MHRD, Government of India. The main objective of the cell is to keep a vigilant watch on educational activities of private organisations and institutions. The cell monitors misleading advertisements appearing in national, regional dailies and also verifies complaints received from other public sources promptly. Cases of disaffiliation, down gradation of schools because of irregularities committed by the schools are also highlighted through media for generating public awareness. No case was received during the period under report.

अब तक निम्नलिखित **जाली बोर्डों** का पता लगाया जा चुका है।

So far the following have been identified as **Fake Boards**.

1. सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, वाचस्पति भवन, उत्तम नगर, नई दिल्ली।

1. Central Board of Higher Education, Vachaspati Bhawan, Uttam Nagar, New Delhi.

2. ऑल इण्डिया बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजूकेशन, गाजीपुर।

2. All India Board of Secondary Education, Gazipur.

3. सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।

3. Central Board of Higher Education, East Patel Nagar, New Delhi.

4. बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ब्रहम् पुरी, नांगलराय, नई दिल्ली।

4. Board of Adult Education & Training, Brahmpuri, Nangal Rai, New Delhi.

प्रशासनिक परिवर्तन
Administrative Changes

1) श्री विनीत जोशी,(भा.प्र.से) (एमटी:92) ने दिनांक 12.2.2010 से बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया।

2) श्रीमती चित्रलेखा गुरूमूर्ति, निदेशक (शैक्षणिक) की नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिए दिनांक 10.10.2010 तक आगे बढ़ाया गया।

3) निम्नलिखित अधिकारियों ने जो कि अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर थे, प्रत्यावर्तित होकर सीबीएसई में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया।

श्री पी.मनी, शिक्षा अधिकारी
श्री एम.वी.वी.प्रसादा राव, संयुक्त सचिव

4) बोर्ड के निम्नलिखित कर्मचारियों को सीबीएसई में प्रतिनियुक्ति आधार पर बोर्ड में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया–

श्री धनी राम शर्मा
श्री अजय कुमार

1. Sh.Vineet Joshi, IAS (MT:92) has assumed the charge of the Chairman, CBSE with effect from 12.02.2010.

2. The term of appointment of Smt. Chitralekha Gurumurthy as Director (Academic), CBSE has been extended for a further period of one year upto 10.10.2010.

3. The following officers of the Board who were on deputation to other departments joined back CBSE :-

Sh. P.Mani, Education Officer

Sh. M.V.V. Prasada Rao, Joint Secretary

4. The following officials of the Board were appointed as Junior Accounts Officer on deputation in the CBSE :-

Sh. Dhani Ram Sharma

Sh. Ajay Kumar

विदाई

1) श्रीमती उमा सिवरामन, शिक्षा अधिकारी को उनके मूल कार्यालय में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

2) निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुये:

श्री एम.सी. गोयल	संयुक्त सचिव
श्री जे.एम. रावल	उप–सचिव
श्री आई.एस. वाधवा	उप–सचिव

Farewell

i) Smt. Uma Sivaraman who was holding the post of Education Officer in the CBSE, was been repatriated to her parent office.

ii) The following officers/official retired from the services of the Board on attaining the age of superannuation:-

Sh. M.C. Goyal	Joint Secretary
Sh. J.M. Rawal	Deputy Secretary
Sh. I.S. Wadhwa	Deputy Secretary

श्री अतर सिंह	उप–सचिव
श्री यशपाल सिंह	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती लक्ष्मी रानी माथुर	अनुभाग अधिकारी
श्री वी.के. ग्रोवर	अनुभाग अधिकारी
श्री महेन्द्र सिंह	अनुभाग अधिकारी
श्री रूप राम	दफ्तरी
श्री सोहन लाल	दफ्तरी

Sh. Attar Singh	Deputy Secretary
Sh. Yash Pal Singh	Section Officer
Smt. Laxmi Rani Mathur	Section Officer
Sh. V.K. Grover	Section Officer
Sh. Mahender Singh	Section Officer
Sh. Roop Ram	Gestetner Operator
Sh. Sohan Lal	Gestetner Operator

पदनाम में परिवर्तन

विभागाध्यक्ष (विशेष परीक्षा) तथा विभागाध्यक्ष (एडूसेट) के पदनाम क्रमशः निदेशक (विशेष परीक्षा) तथा निदेशक (एडूसेट) के रूप में परिवर्तित किये गये हैं।

पदोन्नतियां

उप–सचिव के पद पर

श्री राजेश्वर शर्मा

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव

उप सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर

श्री समीर दत्ता

सहायक सचिव के पद पर

श्रीमती कविता वजिरानी

अनुभाग अधिकारी के पद पर

श्री राजेश सेठी

श्री थोंगखोलेट माटे

श्री मोहन लाल

श्री गुलशन शर्मा

श्री रामेश्वर दास

श्री संजय कुमार

श्री सुदर्शन कुमारी

Change of Nomenclature

The nomenclature in respect of the posts of Head of Department (Special Examinations) and Head of Department (Edusat) have been changed to that of Director (Special Examinations) and Director (Edusat) respectively.

Promotions

As Deputy Secretary

Sh. Rajeshwar Sharma

Sh. Manoj Kumar Srivastava

As Deputy Secretary (I.T.)

Sh. Sameer Dutta

As Assistant Secretary

Smt. Kavita Vazirani

As Section Officer

Sh. Rajesh Sethi

Sh. Thongkholet Mate

Sh. Mohan Lal

Sh. Gulshan Sharma

Sh. Rameshwar Dass

Sh. Sanjay Kumar

Sh. Sudershan Kumari

राजभाषा का प्रचार–प्रसार
Propagation of Official Language

संघ सरकार की राजभाषा नीति, नियमों तथा विनियम और गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम को बोर्ड के दिल्ली स्थित कार्यालय तथा दिल्ली से बाहर स्थित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड में हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यालयीन प्रलेखों (कागज–पत्रों) के अंग्रेजी से हिन्दी तथा विलोमतः अनुवाद का दायित्व भी इसी प्रकोष्ठ को सौंपा गया है। बोर्ड में हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का मूल्यांकन करने तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने के लिए अध्यक्ष, सीबीएसई, की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–I पर दी गई है। बोर्ड में हिंदी के प्रयोग की स्थिति के संबंध में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट समेकित रूप से शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को मूल्यांकन के लिए प्रेषित की जाती है।

वार्षिक प्रोत्साहन योजना

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गई जिसके अंतर्गत 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है।

A Hindi Cell has been established in CBSE to assist in the implementation of the Official Language Policy of the Union Government, Act, Rules and to achieve the targets prescribed in annual programme issued by MHA, Department of official language for transacting the official work in Hindi.

All official documents contained under section 3(3) of the Official Language Act 1963 are translated from English to Hindi and Vice-Versa by Hindi Cell. For the purpose of effective implementation of the orders etc. relating to progressive use of Hindi issued from time to time, the Official Language Implementation Committee headed by the Chairman of the CBSE has been set up. List of the members of the Official Languages Implementation Committee is given at Appendix -I. Meeting of the Official Language Committee is organised quarterly.

Annual Incentive Scheme

In order to propagate the use of Hindi, an annual incentive scheme was implemented in the Board for officers/personnel. There is a provision to award cash reward to 10 officers/ personnel under this scheme.

अनुवाद

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रलेखों के अतिरिक्त इस रिपोर्ट के दौरान सरकुलर्स, विज्ञापन, नोटिस इत्यादि का अनुवाद किया गया।

'हिंदी दिवस' तथा 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन

राजभाषा विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों के अंतर्गत बोर्ड में दिनांक 1–15 सितम्बर 2009 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी टिप्पण व प्रारूपण, हिंदी निबंध, हिंदी कविता पाठ, सुलेख एवं श्रुतलेख, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं शामिल थी। विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र भी दिये गये।

Translation Work

Apart from the documents contained in Section 3(3) of the Official Language Act 1963, circulars, advertisements, notices etc. were also translated during the period under report.

Celebration of 'Hindi Diwas' and 'Hindi Pakhwada'

Under the guidelines issued by MHA, Department of official language and MHRD, the Board celebrated Hindi Fortnight from Ist to 15th September 2009. Under this programme various Hindi competitions like Hindi noting/drafting, essay, typing, debate and handwriting/dictation were conducted for the officers/personnel of the Board. Cash reward and commendation certificates were also awarded to the winners.

हिन्दी कार्यशाला

बोर्ड के मुख्यालय में 24.06.2009 से 30.06.2009 मे हिन्दी कार्यशाला का प्रबंध किया गया जिसमें 21 कर्मचारी शामिल हुए।

Hindi Workshop

A Hindi Workshop was organised in the Board Headquarter from 24 June 2009 to 30 June 2007 which was attended by 21 personnel.

सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट (कक्षा XII) परीक्षा परिणाम

Senior School Certificate Examination (Class XII) Results 2009

परीक्षा अवधिः

2 मार्च 2009 से
2 अप्रैल 2009

परीक्षाफल घोषणा तिथिः

20 मई 2009

अजमेर
चैन्नई
पंचकूला

22 मई 2009

दिल्ली
गुवाहाटी
इलाहाबाद

Duration of Examination:

2nd March 2009 to
2nd April 2009

Date of Declaration of Results :

20 May 2009

Ajmer,
Chennai
Panchkula

22 May 2009

Delhi
Guwahati
Allahabad

परीक्षाफल के आँकड़े

वर्ष 2009 में कक्षा XII की परीक्षा हेतु कुल 637976 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या में 16.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मुख्य बातें

- वर्ष 2008 के परीक्षाफल की तुलना में उत्तीर्ण प्रतिशत में 0.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

  वर्ष 2008 का उत्तीर्ण प्रतिशत 80.91

  वर्ष 2009 का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.00

- छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.94 रहा जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 77.40 रहा।
- संस्थागत नियमित परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.69 जबकि प्राईवेट परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 49.72 रहा।
- क्षेत्रीय कार्यालय चैन्नई का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.06 रहा जो सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में उच्चतम था।

Result Statistics

In all 637976 candidates were registered for the examination held in 2009. There was an increase of approximately 16.13% over last year.

Highlights

- An increase of 0.09% in the overall pass percentage was noted as compared to 2008 results.

  Pass percentage of 2008 --> 80.91

  Pass percentage of 2009 --> 81.00

- Girls performed better than boys. Pass percentage of girls was 85.94 as compared to that of boys which was 77.40.
- Pass percentage of regular students was 82.69 as compared to 49.72 of private/ patrachar candidates.
- Overall pass percentage of Chennai region was 92.06, the highest as compared to other regions.

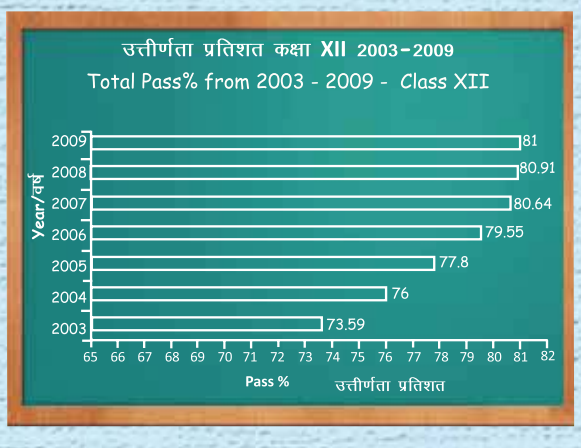
उत्तीर्णता प्रतिशत कक्षा XII 2003-2009
Total Pass% from 2003 - 2009 - Class XII
Year/वर्ष
2009 81
2008 80.91
2007 80.64
2006 79.55
2005 77.8
2004 76
2003 73.59
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Pass %
उत्तीर्णता प्रतिशत

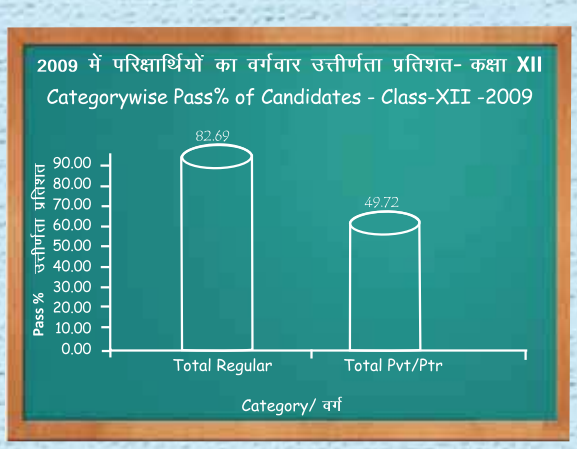
2009 में परिक्षार्थियों का वर्गवार उत्तीर्णता प्रतिशत- कक्षा XII
Categorywise Pass% of Candidates - Class-XII -2009
Pass % उत्तीर्णता प्रतिशत
90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
82.69
49.72
Total Regular
Total Pvt/Ptr
Category/ वर्ग

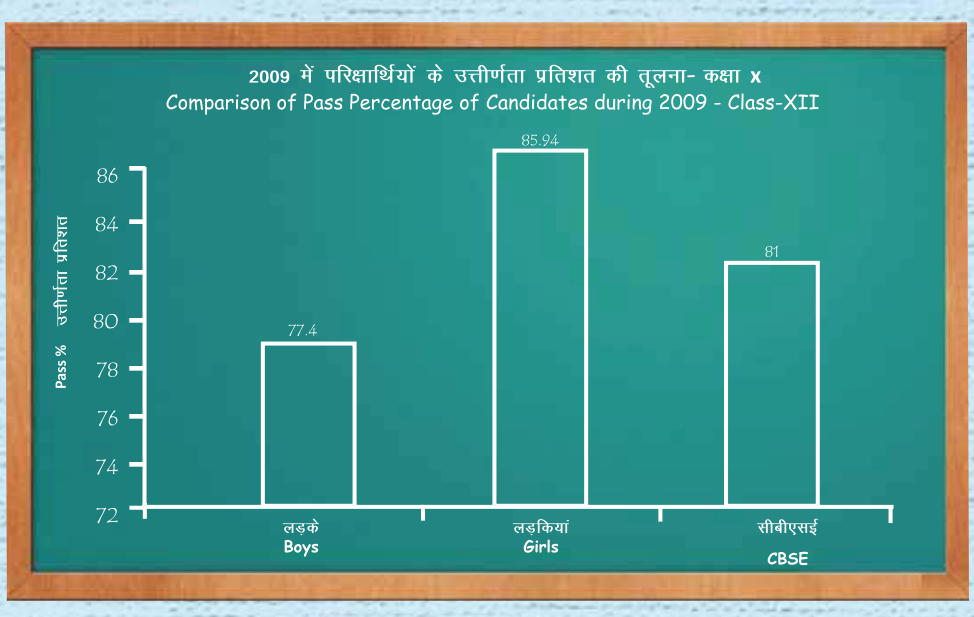
2009 में परिक्षार्थियों के उत्तीर्णता प्रतिशत की तूलना- कक्षा X
Comparison of Pass Percentage of Candidates during 2009 - Class-XII
Pass % उत्तीर्णता प्रतिशत
86 84 82 80 78 76 74 72
77.4
85.94
81
लड़के
Boys
लड़कियां
Girls
सीबीएसई
CBSE

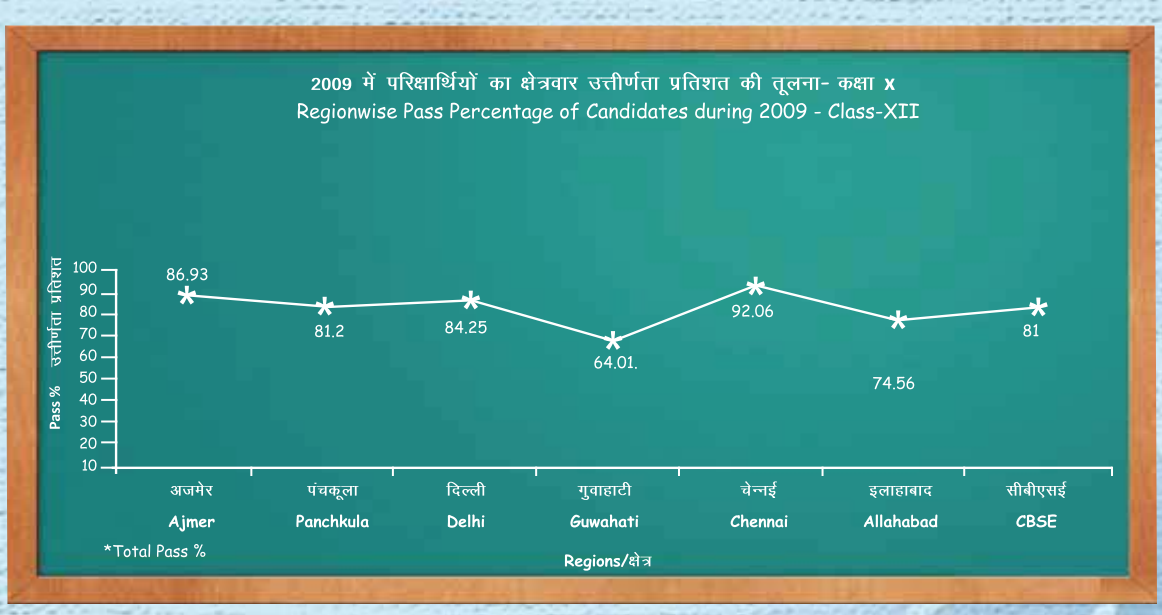
2009 में परिक्षार्थियों का क्षेत्रवार उत्तीर्णता प्रतिशत की तूलना- कक्षा X
Regionwise Pass Percentage of Candidates during 2009 - Class-XII
Pass % उत्तीर्णता प्रतिशत
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
86.93
81.2
84.25
64.01.
92.06
74.56
81
अजमेर
Ajmer
पंचकूला
Panchkula
दिल्ली
Delhi
गुवाहाटी
Guwahati
चेन्नई
Chennai
इलाहाबाद
Allahabad
सीबीएसई
CBSE
*Total Pass %
Regions/क्षेत्र

सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (कक्षा X) परीक्षा परिणाम

Secondary School Examination (Class X) Results 2009

परीक्षा अवधिः
2 मार्च 2009 से
30 मार्च 2009

परीक्षाफल घोषणा तिथिः

26 मई 2009
अजमेर
चैन्नई
पंचकूला

29 मई 2009
दिल्ली
गुवाहाटी
इलाहाबाद

Duration of Examination:
2 March 2009 to
30 March 2009

Date of Declaration of Results:

26 May 2009
Ajmer
Chennai
Panchkula

29 May 2009
Delhi
Guwahati
Allahabad

परीक्षाफल के आँकड़े

वर्ष 2009 में कक्षा – 10 की परीक्षा हेतु कुल 824422 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या में 7.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मुख्य बातें

- वर्ष 2008 के परीक्षाफल की तुलना में उत्तीर्ण प्रतिशत में 1.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

  वर्ष 2008 का उत्तीर्ण प्रतिशत --> 87.08

  वर्ष 2009 का उत्तीर्ण प्रतिशत --> 88.84
- नियमित विद्यार्थियों का पास प्रतिशत 90.07 था तथा प्राईवेट विद्यार्थियों का पास प्रतिशत 40.97 रहा।
- छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.78 रहा जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.18 रहा।
- क्षेत्रीय कार्यालय चैन्नई का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.60 रहा जो सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में उच्चतम था।

Result Statistics

In all 824422 candidates were registered for the examination held in 2009. There was an increase of approximately 7.67% candidates over last year.

Highlights

- There was an increase of 1.76% in the overall pass percentage as compared to 2008 results.

  Pass percentage of 2008 --> 87.08

  Pass percentage of 2009 --> 88.84
- Pass percentage of regular students was 90.07 as compared to 40.97 of private/ patrachar candidates.
- Girls performed better than boys. Pass percentage of girls was 89.78 as compared to that of boys which was 88.18.
- Overall pass percentage of Chennai region was 95.60, the highest as compared to other regions.

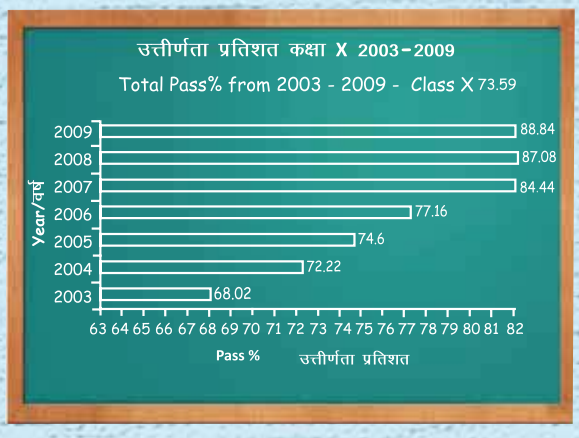
उत्तीर्णता प्रतिशत कक्षा X 2003-2009
Total Pass% from 2003 - 2009 - Class X 73.59
2009 88.84
2008 87.08
2007 84.44
2006 77.16
2005 74.6
2004 72.22
2003 68.02
Year/वर्ष
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Pass % उत्तीर्णता प्रतिशत

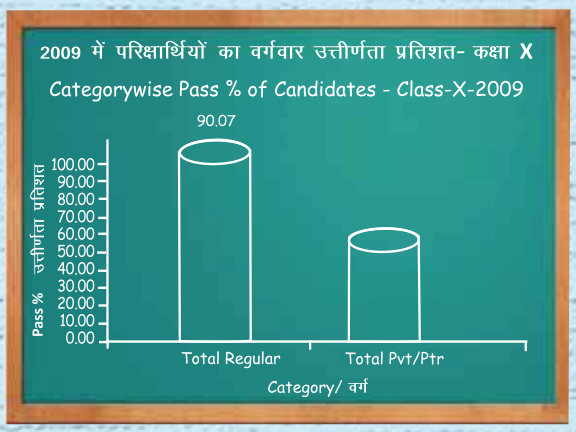
2009 में परिक्षार्थियों का वर्गवार उत्तीर्णता प्रतिशत- कक्षा X
Categorywise Pass % of Candidates - Class-X-2009
90.07
Pass % उत्तीर्णता प्रतिशत
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Total Regular
Total Pvt/Ptr
Category/ वर्ग

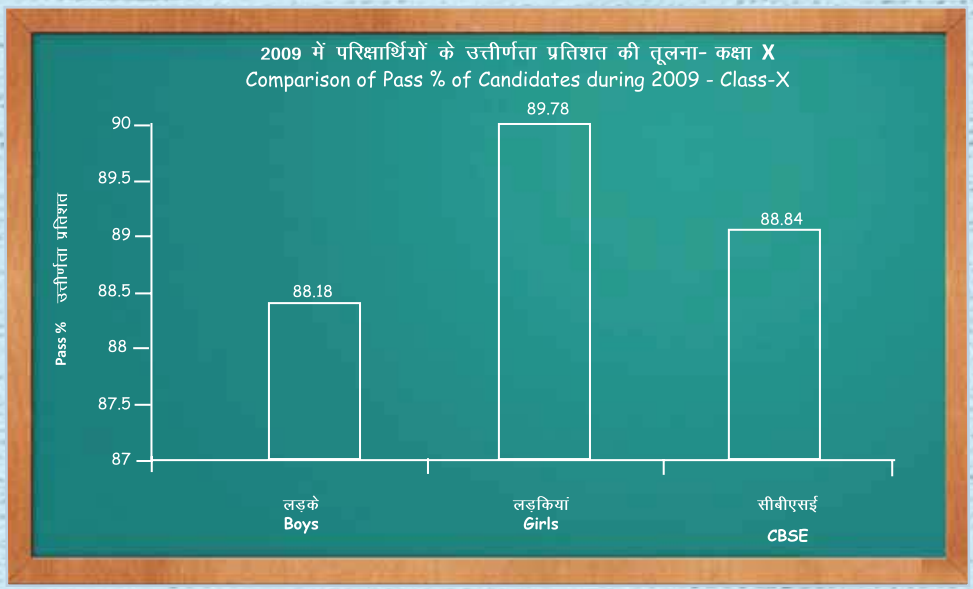
2009 में परिक्षार्थियों के उत्तीर्णता प्रतिशत की तूलना- कक्षा X
Comparison of Pass % of Candidates during 2009 - Class-X
89.78
88.84
88.18
Pass % उत्तीर्णता प्रतिशत
90
89.5
89
88.5
88
87.5
87
लड़के
Boys
लड़कियां
Girls
सीबीएसई
CBSE

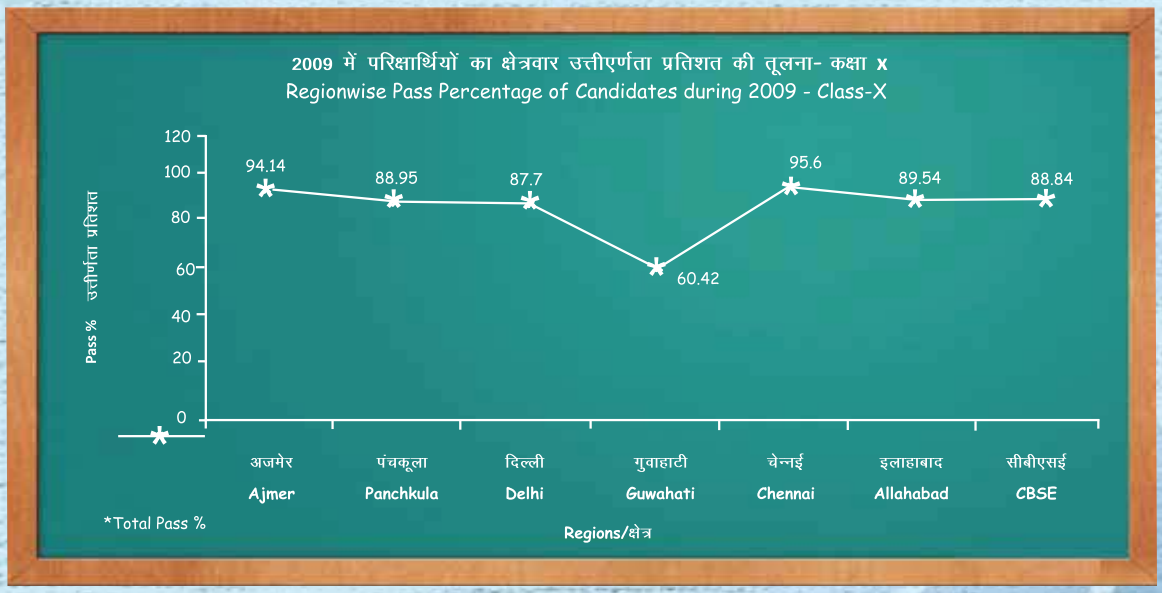
2009 में परिक्षार्थियों का क्षेत्रवार उत्तीर्णता प्रतिशत की तूलना- कक्षा X
Regionwise Pass Percentage of Candidates during 2009 - Class-X
94.14
88.95
87.7
60.42
95.6
89.54
88.84
Pass % उत्तीर्णता प्रतिशत
120
100
80
60
40
20
0
अजमेर
Ajmer
पंचकूला
Panchkula
दिल्ली
Delhi
गुवाहाटी
Guwahati
चेन्नई
Chennai
इलाहाबाद
Allahabad
सीबीएसई
CBSE
*Total Pass %
Regions/क्षेत्र

वर्ष 2009 की परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

- विचारों को पूर्ण रूप से समझने तथा ज्ञान की संरचना में व्यावहारिक अनुभव के महत्व पर बल देने के लिए बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए प्रायोगिक –कौशल आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र कक्षा–10 के साथ–साथ कक्षा–9 के पाठ्यक्रम में शामिल प्रयोगों की सूची पर भी आधारित था।
- कक्षा 9 तथा कक्षा 10 के प्रयोगों पर आधारित प्रश्नों को अंकों (10+10) के आधार पर समान महत्व दिया गया।
- सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में आपदा प्रबन्धन पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। इसका मूल्यांकन केवल प्रोजेक्ट तथा दत्त कार्य द्वारा किया गया।
- सीनियर स्कूल स्तर पर अंग्रेजी तथा सेकेन्डरी स्तर पर गणित विषयों में बोर्ड परीक्षा, 2008 पर आधारित निष्पादन विश्लेषण किया गया। इससे प्राप्त निष्कर्ष बहुपयोगी थे तथा बोर्ड के प्रश्न पत्रों के स्वयं निदान, एंव मुख्य परीक्षक, परीक्षक तथा नोडल पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण में मददगार होंगे ।
- 2009 की परीक्षा मे शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, ऑटिज़्म, भाषण अक्षमताद्ध, संस्तंभी और पर्सन विद डिसेबिलिटि एक्ट 1995 मे परिभाषित अश्क्तता वाले अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा निशुल्क लेखक उपलब्ध कराए गये।

Important Information Regarding 2009 Examinations

- To strengthen the importance of 'Hands On' experience in realising the concepts and construction of knowledge, the practical question paper for class X examination was based on a list of experiments included in class X as well as class IX syllabus.
- Equal weightage in terms of marks (10+10) was assigned to questions based on class IX & X experiments.
- No questions were asked on Disaster Management in the theory paper of Social Science class X. This unit was evaluated only through projects and assignments.
- Performance analysis based on the Board Examination 2008 was undertaken in the subjects of Mathematics class X and English in class XII. The findings received will be used for self diagnosis of the Board's question papers, facilitating the remedial action including training of head examiners, examiners and nodal supervisors.
- The Board provided scribes free of cost to the Blind, Physically Handicapped, Autistic, Dyslexic, Spastic and candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act, 1995.